कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 424/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति, जनपद आजमगढ़
दिनांकः 08.11.2026

☐ दीपावली पर्व के अवसर पर आजमगढ़ पुलिस ने ग्राम प्रहरियों, बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के साथ साझा की खुशियां, मिठाई, दीपक, मोमबत्ती एवं उपहार सामग्री वितरित कर दीं पर्व की शुभकामनाएं।

कार्यक्रम का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दीपावली पर्व-2026 के अवसर पर जनपद के समस्त थानों के थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ग्राम प्रहरियों, बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के बीच पहुंचकर दीपावली का पर्व हर्षोल्लास एवं आत्मीयता के साथ मनाया गया।

➡ ☐ इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्राम प्रहरियों, बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मिठाई, दीपक, मोमबत्ती एवं अन्य उपहार सामग्री वितरित की गई। पुलिसकर्मियों ने सभी के साथ संवाद स्थापित कर पर्व की खुशियां साझा कीं तथा उनके सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय जीवन की कामना की।

➡ ☐ इस पहल के माध्यम से आजमगढ़ पुलिस ने समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ आत्मीय जुड़ाव एवं सहयोग की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। पुलिस की इस पहल से बच्चों एवं परिवारों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली।

➡ ☐ आजमगढ़ पुलिस आमजन की सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सहभागिता, आपसी सौहार्द एवं जनविश्वास को मजबूत करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

आजमगढ़ पुलिस की ओर से जनपदवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

☐ आजमगढ़ पुलिस की अवैध पटाखों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, थाना दीदारगंज एवं तहबरपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं बिक्री करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 02 कुन्तल 52 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद, अनुमानित कीमत लगभग ₹4.50 लाख।

☐ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित।

कार्यवाही का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं संबंधित क्षेत्राधिकारियों

के पर्यवेक्षण में दिनांक 07.11.2026 को थाना दीदारगंज एवं थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना दीदारगंज की कार्रवाई-
दिनांक 07.11.2026 को उ0नि0 गिरजेश तिवारी मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मार्टीनगंज बाजार में एक व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सोहराब अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम बनगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को समय 17:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 कुन्तल 72 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए।

थाना तहबरपुर की कार्रवाई-
दिनांक 07.11.2026 को उ0नि0 सुलर्भ पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल दीपावली पर्व के दृष्टिगत जनईगंज बाजार में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि विशाल फ्रूट्स के मालिक द्वारा अपनी दुकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर चोरी-छिपे बिक्री की जा रही है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल गौड़ पुत्र बाबूलाल गौड़ निवासी ग्राम मंझारी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष बताया। पटाखों के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित लाइसेंस मांगने पर वह प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियुक्त को समय करीब 20:30 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लगभग 80 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सोहराब अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम बनगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।
2. विशाल गौड़ पुत्र बाबूलाल गौड़ निवासी ग्राम मंझारी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 02 कुन्तल 52 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.50 लाख है। थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के पटाखे, जिनमें फूलझड़ी, स्पार्कल, क्रैकर्स, चकरी, अनार, सुतली बम, रॉकेट एवं अन्य आतिशबाजी सामग्री शामिल हैं, बरामद की गई।

पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 206/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1984, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 164/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-
विशाल गौड़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 81/2019 धारा 147, 188, 323, 336, 352, 419, 420, 427, 504, 506, 508 थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
थाना दीदारगंज पुलिस टीम में उ0नि0 गिरजेश तिवारी, का0 निशांत त्रिपाठी, का0 हितेन्द्र कुमार यादव, का0 अभिषेक एवं का0 नवाब अंसारी शामिल रहे।
थाना तहबरपुर पुलिस टीम में उ0नि0 सुलर्भ पाण्डेय, हे0का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 जितेन्द्र कुमार यादव एवं का0 विशाल कुमार यादव शामिल रहे।

☐ थाना बरदह एवं थाना अहरौला क्षेत्र में फर्जी ई-चालान APK भेजकर तथा अन्य तरीके से साइबर ठगी की गई धनराशि ₹2,72,801/- पुलिस ने पीड़ितों के बैंक खातों में वापस कराई।

☐ थाना बरदह क्षेत्र में दिनांक 25.10.2026 को मोहम्मद जावेद एवं थाना अहरौला क्षेत्र में दिनांक 25.05.2026 को धीरज यादव के साथ हुई साइबर धोखाधड़ी की धनराशि वापस कराई गई।

☐ धनराशि वापस मिलने पर आवेदकगण ने आजमगढ़ पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया।

घटना का विवरण-
1. थाना बरदह- दिनांक 25.10.2026 को आवेदक मोहम्मद जावेद पुत्र सुबेदार शाह निवासी पिखुआ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के व्हाट्सएप पर साइबर ठगों द्वारा फर्जी ई-चालान APK फाइल भेजकर साइबर धोखाधड़ी की घटना कारित की गई, जिसके माध्यम से उनके बैंक खाते से ₹2,44,000/- की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक निकाल ली गई। आवेदक द्वारा दिनांक 26.10.2026 को NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33110260301334 दर्ज कराई गई। थाना बरदह की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ठगी की उक्त धनराशि को होल्ड कराकर आवेदक के बैंक खाते में वापस कराया गया।

2. थाना अहरौला- दिनांक 25.05.2026 को आवेदक धीरज यादव पुत्र स्व0 सम्हारू यादव निवासी गौरी का पूरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटना घटित हुई, जिसमें उनके बैंक खाते से ₹29,000/- की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक निकाल ली गई। आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33105260116138 दर्ज कराई गई। थाना अहरौला की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए MRM पोर्टल के माध्यम से ₹28,801/- की धनराशि होल्ड कराकर आवेदक के बैंक खाते में वापस कराई गई।

इस प्रकार थाना बरदह एवं थाना अहरौला पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा दोनों प्रकरणों में कुल ₹2,72,801/- की धनराशि पीड़ितों के बैंक खातों में वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर आवेदकगण द्वारा आजमगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना बरदह- प्रभारी निरीक्षक चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 मनीष सिंह एवं म0का0 आरती सिंह।
थाना अहरौला- उ0नि0 नीतेश कुमार चौबे, का0 धर्मेन्द्र कुमार एवं म0का0 सोनी सिंह।

थाना मुबारकपुर
☐ आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 118 किलोग्राम अवैध पटाखों के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार।
☐ अवैध पटाखों के परिवहन में प्रयुक्त ई-रिक्शा ट्राली (UP 50 FT 3251) बरामद, पटाखों की अनुमानित कीमत करीब ₹2.66 लाख।

कार्यवाही का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भंडारण, परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा दिनांक 07.11.2026 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अमिलो मोड़ के पास घेराबंदी कर समय करीब 15:35 बजे एक ई-रिक्शा ट्राली को रोका गया। तलाशी के दौरान ई-रिक्शा ट्राली में बोरियों में भरकर ले जाए जा रहे विभिन्न प्रकार के कुल 118 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए। मौके पर मौजूद चारों व्यक्तियों से पटाखों के संबंध में लाइसेंस एवं वैध

कागजात मांगे गए, जिन्हें वे प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस टीम द्वारा मौके से चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अवैध पटाखों के परिवहन में प्रयुक्त ई-रिक्शा ट्राली को कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-
1. प्रेमचंद पटवा उर्फ गुड्डुन पुत्र स्व0 रामचन्द्र पटवा निवासी मोहल्ला पुराखिजिर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष।
2. बिंदु गौड़ पुत्र स्व0 बुद्ध गौड़ निवासी मोहल्ला पुराखिजिर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष।
3. राहुल गुप्ता पुत्र स्व0 राजेन्द्र गुप्ता निवासी अजीज नगर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
4. विशाल गुप्ता पुत्र चंदन गुप्ता निवासी अजीज नगर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।
बरामदगी का विवरण-
1. 118 किलोग्राम अवैध पटाखे (अनुमानित कीमत करीब ₹2,66,000/-)। विभिन्न प्रकार के फुलझड़ी, मैजिक पॉप-अप, बीड़ी पटाखा, माचिस पटाखा, मिनी बुलेट, चरखी, रॉकेट एवं मिर्ची पटाखा आदि।
2. 01 अदद बैट्री चालित ई-रिक्शा ट्राली (पंजीकरण संख्या UP 50 FT 3251)।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 0389/2026 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 धर्मेंद्र शर्मा (चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर), हे0का0 भागी चन्द प्रसाद, का0 मुकुन्द लाल मिश्र, का0 पवन वर्मा एवं का0 सुजीत यादव, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़, दिनांक: 08.11.2026
□ आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पटाखों का भंडारण एवं बिक्री करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।
□ थाना मेहनाजपुर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 90.800 किलोग्राम अवैध पटाखे (कीमत करीब ₹2.05 लाख) किए बरामद।

कार्यवाही का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष मेहनाजपुर श्री अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 07.11.2026 को अवैध पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की गई।

➡ □पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.11.2026 को समय करीब 16:40 बजे कस्बा मेहनाजपुर स्थित सीएचसी अस्पताल के पास सहयोग डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर बने कमरे में छापेमारी कर अवैध पटाखों का भंडारण करने वाले अशोक राजभर एवं अनन्त राजभर को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उक्त स्थान से कुल 34 किलोग्राम अवैध पटाखे, अनुमानित कीमत ₹80,000/- बरामद किए गए।

इसके पश्चात समय करीब 17:20 बजे मेहनाजपुर तिराहे के पास घनी आबादी में भगवान की मूर्तियों की आड़ में अस्थायी दुकान लगाकर अवैध पटाखों का भंडारण करने वाले राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। उक्त दुकान से कुल 14 किलोग्राम अवैध पटाखे, अनुमानित कीमत ₹40,000/- बरामद किए गए।

इसी क्रम में दिनांक 07.11.2026 को समय करीब 17:40 बजे सिधौना बाजार में भगवान की मूर्तियों की आड़ में अस्थायी दुकान पर अवैध पटाखों का भंडारण एवं बिक्री कर रहे दौलत सोनकर को गिरफ्तार किया गया। उक्त दुकान से कुल 42 किलोग्राम 800 ग्राम अवैध पटाखे, अनुमानित कीमत ₹85,000/- बरामद किए गए।

➡ इस प्रकार तीनों स्थानों से कुल 90 किलोग्राम 800 ग्राम अवैध पटाखे, अनुमानित कीमत ₹2,05,000/- बरामद किए गए।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-
1. अशोक राजभर पुत्र स्व0 सिउत राजभर निवासी ग्राम बरवां, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 44 वर्ष।
2. अनन्त राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी ग्राम बरवां, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष।
3. राहुल गुप्ता पुत्र हरिहर गुप्ता निवासी ग्राम मेहनाजपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
4. दौलत सोनकर पुत्र दया सोनकर निवासी ग्राम सिधौना, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 48 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 92/26 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 93/26 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार पाल, उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा, उ0नि0 दीपक कुमार, उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय, हे0का0 पारसनाथ यादव, हे0का0 महेन्द्र यादव, हे0का0 बाबूलाल, हे0का0 रमेश कुमार यादव, का0 प्रमोद यादव, का0 पुनीत सिंह एवं का0 अभिषेक कुमार चौधरी, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।